

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
सारण, मुंगेर, रोहतास, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णियाँ,
पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं गया।

पटना, दिनांक- 25/9/25

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के संधारणार्थ वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों के लिए कुल राशि रु० 14,10,58,480/- (रु० चौदह करोड़ दस लाख अठावन हजार चार सौ अस्सी) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के संधारण हेतु वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों के लिए कुल राशि रु० 14,10,58,480/- (रु० चौदह करोड़ दस लाख अठावन हजार चार सौ अस्सी) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2-कुल भारत व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2025-26 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277-शिक्षा, उप शीर्ष 0010-पिछड़ी जातियों के लिए 12 (बारह) कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण, विषय शीर्ष 01.01 वेतन, 01.03 जीवन यापन भत्ता, 01.04 मकान किराया भत्ता, 01.06 चिकित्सा भत्ता, 13.01 कार्यालय व्यय, 14.01 किराया महसूल एवं कर, 21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ, 28.02 संविदा सेवाएँ विपत्र कोड संख्या-11-2225-03-277-0010 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3-28.02 संविदा सेवाएँ मद से राशि का व्यय केवल संविदा आधारित नियोजित शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए किया जाएगा।

4- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5- आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। निकासी की गई राशि का व्यय विभागीय पत्रांक-292, दिनांक-11.02.2021 में निहित निदेश का अनुपालन करते हुए करेंगे। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष समाप्ति के तत्काल बाद विभाग को भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

6- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7- प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

8- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की आवंटन की सूचना दी जा रही है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(अनिल कुमार ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

P.T.O

पटना, दिनांक- 25/9/25

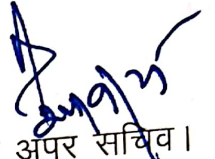
ज्ञापांक-पि०व०/बजट-30-02/2015(खण्ड-II)- 84
प्रतिलिपि-(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/संबंधित आवासीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/विभागीय बजट शाखा को (CFMS प्रणाली के अन्तर्गत प्रविष्टि करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(5) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के संभारणार्थ आवंटित राशि का विवरण :-

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

विषय कोड-11-2225-03-277-0010

वित्तीय वर्ष 2025-26

क्र० सं०	विद्यालय का नाम	0101 वेतन	0103 जीवन यापन भत्ता	0104 मकान किराया भत्ता	0106 चिकित्सा भत्ता	योग	1301 कार्यालय व्यय	1401 किराया एवं महसूल कर	2101 सामग्री एवं पूर्ति	2802 सहायता सेवाएँ	योग	कुल योग
1	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० सारण	1600000	880000	160000	50000	2690000	100000	0	6775650	88000	6963650	9653650
2	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० मुंनेर	1400000	770000	140000	44000	2354000	100000	0	8382330	88000	8570330	10924330
3	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० रोहतास	1500000	825000	150000	46000	2521000	100000	0	12175880	0	12275880	14796880
4	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० समस्तीपुर	2000000	1100000	200000	52000	3352000	100000	0	8471590	0	8571590	11923590
5	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० दरभंगा	1200000	660000	120000	40000	2020000	100000	0	7177320	168000	7445320	9465320
6	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० सहरसा	1700000	935000	170000	56000	2861000	100000	0	11149390	189000	11438390	14299390
7	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० पूर्णियाँ	1200000	660000	120000	40000	2020000	100000	0	12934590	168000	13202590	15222590
8	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० मोकामा पटना	1300000	715000	130000	40000	2185000	100000	0	7534360	0	7634360	9819360
9	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० कदमकुआँ पटना	1400000	770000	280000	42000	2492000	100000	0	8025290	88000	8213290	10705290
10	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० भागलपुर	900000	495000	90000	28000	1513000	100000	0	8471590	88000	8659590	10172590
11	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० मुजफ्फरपुर	1300000	715000	130000	42000	2187000	100000	0	7578990	88000	7766990	9953990
2	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० गया	1600000	880000	160000	46000	2686000	100000	232000	11015500	88000	11435500	14121500
	योग	17100000	9405000	1850000	526000	28881000	1200000	232000	109692480	1053000	112177480	141058480

(रु० चौदह करोड़ दस लाख अठान्न हजार चार सौ अस्सी) मात्र